राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अपील संख्या</th><th>अपीलार्थीगण का नाम</th><th>प्रत्यर्थी विभाग</th><th>प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता</th><th>अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता</th><th>प्रस्तुतिकरण की दिनांक</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>4413 / 2024</td><td>सीताराम मीना</td><td>1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, डीडवाना, कुचामन।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति नावां, जिला डीडवाना कुचामन।</td><td rowspan="6">श्री महिपाल खर्रा</td><td>श्री गजेन्द्र शर्मा</td><td rowspan="6">23.12.2024</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>4415 / 2024</td><td>तरूण लोट</td><td>1. शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़।</td><td>श्री दिलीप सिंह कुरका</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>4429 / 2024</td><td>विभा त्रिवेद्वी</td><td>1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।</td><td>श्री राकेश कुमावत</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>4457 / 2024</td><td>राकेश कुमार</td><td>1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरू।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक राजगढ़, चूरू।</td><td>श्री संदीप गरसा</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>4459 / 2024</td><td>अखतर हुसैन</td><td>1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़।</td><td>श्री एस.के. सिंगोदिया</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>4464 / 2024</td><td>शेख जियाउलहक</td><td>1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, धौलपुर।
4. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति बाडी, धौलपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कंकराय, ग्राम पंचायत सनौरा, बाड़ी, धौलपुर।</td><td>श्री कृष्णकान्त</td></tr>
</table>

7.	4465 / 2024	दामोदर मीणा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, धौलपुर। 4. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति बाडी, धौलपुर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कंकराय, ग्राम पंचायत सनौरा, बाड़ी, धौलपुर।		श्री कृष्णकान्त	
8.	4466 / 2024	सुनील कुमार शर्मा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, धौलपुर। 4. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति बाड़ी, धौलपुर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेड़ली बाड़ी, धौलपुर।			23.12.2024
9.	4474 / 2024	मधु यादव	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर ग्रामीण। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बीलवा, सांगानेर जयपुर। 5. रचना कुमारी सातवान, बेसिक कम्प्यूटर इन्सट्रक्टर, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बीलवा, सांगानेर जयपुर।	श्री महिपाल खर्रा	श्री आर.पी. सैनी	
10.	4485 / 2024	मोनिका	1. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांकरिया अरनियाघोदा, शाहपुरा, भीलवाड़ा।		श्री गोविन्द शर्मा	24.12.2024
11.	4490 / 2024	इन्द्रा कुमारी	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झुंझुंनू 4. प्रधानाचार्य, श्री सुमेर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिरवा,	श्री महिपाल खर्रा	श्री आर. पी. सैनी	

			सिंघाना, झुंझुंनू।			
12.	4495/2024	उषा पंजाबी	1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जानूथर, डीग।	श्री महिपाल खर्रा	श्री आर.पी. सैनी	

आदेश की दिनांक : 10.01.2025

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 4413/2024 सीताराम मीणा बनाम प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
3. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.12.2024 के अनुसार अपीलार्थी को अध्यापक लेवल—I, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मारोट, नावां से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, दईपुर (राजस्थान) में स्थानांतरित कर दिया गया है। अपीलार्थी का नाम क्रमांक 182 पर दर्शाया गया है। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से अधिशेष घोषित किया गया है (अनुलग्नक—1)। राजस्थान राज्य में सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण पर आदेश दिनांक 04.01.2023 द्वारा दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबंध है तथा प्रतिबंध अवधि के दौरान अपीलार्थी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, जो कानून के प्रावधानों के विपरीत है तथा आरोपित स्थानांतरण आदेश रद्द किये जाने योग्य है। वरिष्ठता के अनुसार अधिशेष कर्मचारियों की सूची तैयार किए बिना, अपीलार्थी को अधिशेष

घोषित कर दिया गया है और दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। दिनांक 14.11.2024 / 17.12.2024 को अधिशेष शिक्षकों के संबंध में एक दिशा–निर्देश प्रकाशित किया गया था, जिसके अनुसार गैर–स्वीकृत पद के विरुद्ध माध्यमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा और उन्हें अन्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन अधिशेष शिक्षकों को समायोजित करते समय, संबंधित जिले में वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी और ऐसे अधिशेष शिक्षक को पद रिक्त होने पर उसी विद्यालय में या पद रिक्त होने पर उसी राजस्व गांव में या पद रिक्त होने पर उसी प्रखंड में या रिक्त पद के विरुद्ध निकटवर्ती प्रखंड में स्थानांतरित किया जाएगा। अपीलार्थी की सेवाएं स्थानांतरित करने से पूर्व ऐसी कोई कवायद नहीं की गई है और अपीलार्थी को उसी प्रखंड में समायोजित करने के बजाय, उसे अन्य प्रखंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में दिनांक 07.12.2024 के आक्षेपित आदेश को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.12.2024 के क्रम में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को निरन्तर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्य करने दिया जावे या विभाग के परिपत्र दिनांक 06.09.2024 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्तमान पदस्थापन स्थान के आस–पास के विद्यालय में ही पदस्थापन किया जावे। उपरोक्त समस्त अपीलों में उक्त समान आधार लिए गए है।

4. हमने अपीलार्थीगणों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थीगणों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों / दिशा–निर्देशों / परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में

गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

6. अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

7. मूल आदेश अपील संख्या 4413/2024 सीताराम मीणा बनाम प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)